डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 56/2021

इब्राहीम पुत्र सुबान खाँ जाति मेव निवासी ग्राम पापडा तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. अब्दुल रजाक
3. अब्दुल सत्तार
4. फकरूद्दीन
5. समसू

पिसरान सुबान खाँ जाति मेव निवासी ग्राम पापडा तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि **दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 264/0.20, 300/0.22, 812/0.26, हाल खसरा नम्बर 392/0.20, 460/0.22, 1281/0.26 हैक्टर बांके ग्राम पापडा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।**

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/08/ सन् 2022 को जारी की गई ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (उप जिला कलेक्टर)

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 56/2021

इब्राहीम पुत्र सुबान खाँ जाति मेव निवासी ग्राम पापडा तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0
वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. अब्दुल रजाक
3. अब्दुल सत्तार
4. फकरूद्दीन
5. समसू

पिसरान सुबान खाँ जाति मेव निवासी ग्राम पापडा तहसील पहाडी
तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी

दिनांक :– 04/08/2022

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 264/0.20, 300/0.22, 812/0.26, हाल खसरा नम्बर 392/0.20, 460/0.22, 1281/0.26 हैक्टर बांके ग्राम पापडा तहसील पहाडी में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 के हक समान है। दावा दायरी वक्त न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हे तरतीवी प्रतिवादीगण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। आराजी का 1/2 हिस्सा के वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 की गैरखातेदारी का रकबा है। उक्त आराजी पुश्तैनी आराजी है। जो वादी के दादा चाहत की गैर मौरोसी का रकबा था। चाहत ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक काश्त की और चाहत के बाद पिता वादी और पिता वादी के बाद अब वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। मौके पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड काबिज काश्त है। जमाबन्दी में दर्ज सहकाश्तकारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। क्योकि उनके विरूद्ध कोई दादरसी नही चाही गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही वादी के बुजुर्गान अपने–अपने हिस्से पर गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे जिन्होने अपने जीवन काल तक वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त की और उनके बाद वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण काबिज काश्त आराजी है । आराजी मुतदाविया पर अब हाल में वादी व

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिये था। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादी को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादी विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 29/07/22 को वादी के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादी बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे अब वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी वादी की बुजुर्गान की आराजी है।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी को वादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

.....वादी

3 :– दादरसी ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 इब्राहीम , के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2016–19, 2023–26, 2027–30, 2032–34, 2035–38, 2039–42, 2044–47, 2048–51, 2052–55, 2056–59, व हाल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2012–15, 2016–19, 2024–27, 2028–31, 2036–39, 2040–43, 2044–47, 2048–51, 2052–55, 2056–59, 2060–63, 2064–67, व नकल मिलान क्षेत्रफल पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :– 1 आया आराजी वादी की बुजुर्गान की आराजी है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक आराजी वादी की बुजुर्गान की आराजी है। मुताबिक रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत् 2016–19 आराजी चाहत पुत्र रहीमा के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2027–30 में आराजी वादी के पिता सुबान खां पुत्र चाहत की गैर खातेदार की आराजी थी। वादी के पिता सुबान खां के गुजरने के बाद अब वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। वर्तमान में वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है। आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी को वादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 264/0.20, 300/0.22, 812/0.26, हाल खसरा नम्बर 392/0.20, 460/0.22, 1281/0.26 हैक्टर बांके ग्राम पापडा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/08/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)